

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज
(भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की निष्प्रयोज्य एवं अनुपयोगी पुरानी स्टाफ कार सं० UP-70 AG 3603 मेक मारुति Ciaz 2019 पेट्रोल गाड़ी की नीलामी दिनांक 27/06/2024 को निविदा द्वारा "जहाँ है, जैसा है" के आधार पर आयोजित की जायेगी। निविदादाता दिनांक 06.06.2024 से 13.06.2024 तक उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे सायं के मध्य कर सकते हैं।

इच्छुक निविदादाता को ₹10,000/- की राशि अग्रिम धन के रूप में दिनांक 27/06/2024 तक (अपराह्न 02:00 बजे तक) जमा करनी होगी।

नीलामी की शर्तें तथा अन्य विवरण अधोहस्ताक्षरी से दिनांक 26/06/2024 तक (पूर्वाह्न 11:00 बजे तक) किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

संदर्भित वाहन की राशि निविदा फार्म में अंकित करके सील बन्द लिफाफे को दिनांक: 27/06/24 (अपराह्न 02:00 बजे तक) इस कार्यालय के उपमहालेखाकार / प्रशासन (प्रकोष्ठ) में रखे गये टेण्डर बॉक्स में डाला जा सकता है। निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि की छायाप्रति इस लिफाफे में प्रस्तुत की गई दर के साथ सलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनकी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। समस्त प्राप्त निविदायें इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष दिनांक: 27/06/2024 को अपराह्न 03:00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलने की कार्यवाही के समय निविदादाता या उनका केवल एक प्राधिकृत प्रतिनिधि इन बन्द लिफाफों के खोले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं।

SD.-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सा०प्रशा०

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
(भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग)

संख्या:- नीलामी / विविध / 255

दिनांक: 05/06/2024

मारुति Ciaz (UP-70 AG 3603) की नीलामी की शर्तें

1. निविदादाता इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 06.06.2024 से 13.06.2024 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के परिसर में वाहन का निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा। वाहन का निरीक्षण पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस ने किया जा सकता है।
2. निविदा के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ₹10,000/- की राशि अग्रिम धन के रूप में जमा करनी होगी जो-
 - (क) वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में, या
 - (ख) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के खजांची के पास दिनांक 27/06/2024 को अपराह्न 01:00 बजे तक नकद जमा के रूप में होनी चाहिए।
3. यदि किसी सफल निविदादाता की निविदा स्वीकार होती हैं, तो वह निविदा में उल्लिखित कुल धन (अग्रिम जमा की राशि घटाकर) मौके पर जमा करना होगा और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो ₹10,000 की अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जायेगी, और विफल रहने वाले निविदादाताओं की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी की तिथि के 7 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी।
4. यदि कोई सफल निविदादाता निविदा की राशि जमा करने और निविदा स्वीकृत होने के बाद वाहन नहीं उठा ले जाता है तो उससे रूपये 100 प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जज लिया जायेगा जो उसे वाहन उठाने की तिथि तक कैशियर के पास जमा करना होगा। वाहन को उठाने तथा ले जाने की व्यवस्था एवं खर्च स्वयं सफल निविदादाता को करनी होगी।
5. आयोजित नीलामी में सरकारी कर्मचारियों को निविदा देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारी का कृत्य आचार नियमावली के अधीन अनुचित समझा जायेगा।
6. प्रधान महालेखाकार के पास बिना कोई कारण बताए किसी निविदा, निविदा के अंश या समस्त निविदाओं को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. किसी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का निर्णय अन्तिम होगा और संबंधित निविदादाता उसे मानने के लिए बाध्य होगा।
8. RTO से गाड़ी का Registration Paper Transfer तथा नया Insurance कराने के उपरांत ही गाड़ी को कार्यालय के द्वारा सफल निविदादाता को हस्तगत (Handover) किया जायेगा।
9. GST की राशि यदि देय हो तो सफल निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी।
10. RTO द्वारा उक्त वाहन का Scrap मूल्य रु० 88,000 /- तय किया गया है अतः न्यूनतम बोली मूल्य 80000/- तय किया गया है। संदर्भित राशि से कम की निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सा०प्रशा०

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

निविदा फॉर्म

निविदादाता का नाम:

जमा की गयी धनराशि :

कार का नीलामी मूल्य:

निविदादाता का हस्ताक्षर